क्रम-संख्या–144(छ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023

श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

————————

संख्या 1274 / वि0स0 / संसदीय / 77(सं)-2023

लखनऊ, 7 अगस्त, 2023

————————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 7 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 10 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति के अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है), की धारा 2 में :—

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

''(क) 'सुख—सुविधा' में सड़क, जलापूर्ति, मार्ग—प्रकाश, जल—निकासी, मल वहन, सार्वजनिक पार्क एवं खुला स्थल विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण मल—जल उपचार संयत्र तथा उपयोगिताओं एवं सेवाओं सहित अन्य लोक संकर्म और अन्य सुविधाएं, जैसाकि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुख—सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करें, सम्मिलित
है; ''

(ख) खण्ड (छछछ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

''(छछछ) 'विकास शुल्क' का तात्पर्य विकास क्षेत्र में सुख—सुविधाएं प्रदान करने और उनके सुधार एवं अनुरक्षण के लिए धारा 15 के अधीन उद्गृहीत शुल्क से है।''

(ग) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

''(टट) 'विशेष सुख—सुविधा' में अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजनाएं यथा त्वरित जन अभिवहन प्रणाली (मेट्रो रेल, लाईट रेल, क्षेत्रीय त्वरित रेल, त्वरित बस अभिवहन प्रणाली, रोपवे इत्यादि), फ्रीवेज (एलीवेटेड रोड इत्यादि), नगरीय पुनरोद्धार परियोजनाएं (नदी तट विकास इत्यादि) अथवा कोई अन्य प्रमुख अवस्थापना परियोजना, जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में गजट में अधिसूचित की जाय, सम्मिलित हैं।

''(टटट) 'विशेष सुख—सुविधा शुल्क' का तात्पर्य विकास क्षेत्र में विशेष सुख—सुविधाओं, उनके सुधार तथा अनुरक्षण हेतु उपबन्ध के लिए धारा 15 की उपधारा 2(ख) के अधीन उद्गृहीत शुल्क से है;''

(घ) खण्ड (टट), खण्ड (टटटट) के रूप में पुनर्सख्यांकित किया जायेगा;

(ड.) खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

''(दो) 'नगरीय उपयोग प्रभार' का तात्पर्य धारा 38ख के अधीन किसी व्यक्ति अथवा निकाय से उद्गृहीत प्रभार से है।''

(च) खण्ड (दो) को, खण्ड (तीन) के रूप में पुनर्सख्यांकित किया जायेगा।

धारा 7 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः—

''7—प्राधिकरण का उद्देश्य योजना के अनुसार विकास क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करना है और उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकरण के पास भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्धन तथा निस्तारण करने, निर्माण, अभियन्त्रण, खनन और अन्य संक्रियाओं को क्रियान्वित करने, जल तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य को निष्पादित करने, मलवहन का निस्तारण करने, गजट में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य सेवाओं, सुविधाओं तथा विशेष सुख—साधनों का उपबंध करने और सामान्यतः ऐसे विकास के प्रयोजनार्थ एवं उससे आनुषंगिक प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन कोई कार्य करने की शक्ति होगीः

परन्तु यह कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात का अर्थ प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवहेलना को प्राधिकृत किया जाना नहीं लगाया जायेगा।''

धारा 8 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

''(4) महायोजना को प्रत्येक 10 वर्ष के समाप्त होने पर अथवा उससे पूर्व, यदि राज्य सरकार ऐसा उचित समझे, पुनरीक्षित किया जा सकता है।''

धारा 15 में संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

''(2ख) जहां किसी विकास क्षेत्र में राज्य सरकार एक या उससे अधिक विशेष सुख–सुविधा परियोजनाओं का दायित्व ग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है, वहां प्राधिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, विशेष सुख–सुविधा शुल्क उद्गृहीत करने का हक होगाः

परन्तु यह कि विशेष सुख–सुविधा शुल्क उद्गृहीत किये जाने के फलस्वरूप उद्गृहीत तथा संगृहीत अतिरिक्त धनराशि इस अधिनियम की धारा 20–क के अधीन यथा स्थापित ''विशेष सुख–सुविधा विकास निधि'' में जमा की जाएगी और इसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित रीति से एक या उससे अधिक विशेष सुख–सुविधा परियोजनाओं के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा।''

नई धारा 20क का बढ़ाया जाना

6–मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

''20–क(1) जहां किसी विकास क्षेत्र में राज्य सरकार एक या उससे अधिक विशेष सुख–सुविधा परियोजनाओं का दायित्व ग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है, वहां राज्य सरकार संबंधित प्राधिकरण को एक ऐसी पृथक निधि स्थापित करने और उसे अनुरक्षित रखने का निदेश देगी, जिसे ''विशेष सुख–सुविधा विकास निधि'' कहा जाएगा और जिसमें निम्नलिखित आगम जमा किये जायेंगेः–

विशेष सुख–सुविधा विकास निधि

(क) धारा 15 की उपधारा 2(ख) के अधीन विशेष सुख–सुविधा शुल्क के रूप में संग्रहीत धनराशि;

(ख) विशेष सुख–सुविधा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट अनुपात में तथा रीति से किन्हीं अन्य शुल्कों/प्रभारों के कारण संग्रहीत धनराशि।

(2) निधि का उपयोग सम्बन्धित विशेष सुख–सुविधा परियोजना (परियोजनाओं) की वित्तीय वहनीयता के लिये ही ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) राज्य सरकार प्रत्येक विशेष सुख–सुविधा विकास निधि के प्रशासन के लिए अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(क) सम्बन्धित प्राधिकरण का अध्यक्ष;

(ख) सम्बन्धित प्राधिकरण का उपाध्यक्ष;

(ग) सम्बन्धित विकास क्षेत्र में विशेष सुख–सुविधा परियोजना के क्रियान्वयन अभिकरण का परियोजना प्रतिनिधि।''

धारा 38क का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 38क में, उपधारा (1) का द्वितीय परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

नई धारा 38ख का बढ़ाया जाना

8–मूल अधिनियम की धारा 38क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

''38ख–जहां किसी विकास क्षेत्र में धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन महायोजना के पुनरीक्षण अथवा धारा 9 के अधीन परिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार किए जाने के परिणामस्वरूप सड़क, पार्क एवं खुले स्थल, हरित पट्टी व जन सुख–सुविधाओं से भिन्न किसी विशिष्ट भूमि के भू–उपयोग, जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास भू–उपयोग संपरिवर्तन प्रभार का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण नियमावली, 2014 में विनिर्दिष्ट हो, में उच्चतर उपयोग के लिए परिवर्तन किया जाता है, वहां प्राधिकरण को धारा 15 के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के समय ऐसी भूमि के स्वामी से ऐसी रीति से एवं ऐसी दरों पर जैसा कि विहित किया जाए, नगरीय उपयोग प्रभार उद्गृहीत करने का हक होगाः

नगरीय उपयोग प्रभार उद्गृहीत करने की प्राधिकरण की शक्ति

परन्तु यह कि जहां महायोजना प्रथम बार तैयार की जाए, वहां ऐसी भूमि के स्वामी से कोई नगरीय उपयोग प्रभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।''

निरसन और व्यावृत्ति

9–(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों के योजनानुसार विकास तथा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) अधिनियमित किया गया है।

भारत सरकार की अमृत योजना के अधीन तैयार की जा रही उत्तर प्रदेश राज्य के 59 नगरों की जी0आई0एस0 आधारित महायोजनाओं और उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य नगरों की नयी महायोजनाओं के अधीन विद्यमान भू–उपयोग के उन्नयन की सम्भावना है। नयी महायोजना के अधीन उन्नत भू–उपयोग प्रस्तावित होने के कारण वर्तमान महायोजना के अधीन भू–उपयोग के विरूद्व किये गये सन्निर्माण कार्यों को बिना किसी शुल्क के नियमित कर दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप विकास प्राधिकरणों को वित्तीय हानि हुयी अतएव विकास प्राधिकरणों को पूर्वोक्त संभावित वित्तीय हानि से बचाव के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन ''विशेष सुख सुविधा'' के रूप में भारी निवेश से अवसंरचना परियोजनाओं को परिभाषित करते हुए ''विशेष सुख-सुविधा शुल्क'' के उद्ग्रहण, उन्नत भू–उपयोग के लिए मानचित्र स्वीकृति के समय ''नगरीय उपयोग प्रभार'' संगृहीत किये जाने तथा अनुमोदित महायोजनाओं के दस वर्ष के पश्चात या उससे पूर्व पुनरीक्षण हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में उपबंध किये जाने का विनिश्चय किया गया।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, ''नगरीय उपयोग प्रभार'', ''विशेष सुख-सुविधा शुल्क'' और ''महायोजना का पुनरीक्षण'' से संबंधित उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिसमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है :–

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1	2
2(क)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से सड़क, जलापूर्ति, मार्ग–प्रकाश, जल–निकासी, मल वहन, सार्वजनिक पार्क एवं खुला स्थल विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण मल–जल उपचार संयत्र तथा उपयोगिताओं एवं सेवाओं सहित अन्य लोक संकर्म और अन्य सुविधाओं को ''सुख–सुविधा'' के रूप में विनिर्दिष्ट करने की शक्ति दी जा रही है।
2(ग)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से त्वरित जन अभिवहन प्रणाली (मेट्रो रेल, लाईट रेल, क्षेत्रीय त्वरित रेल, त्वरित बस अभिवहन प्रणाली, रोपवे इत्यादि), फ्रीवेज (एलीवेटेड रोड इत्यादि), नगरीय पुनरोद्धार परियोजनाएं (नदी तट विकास इत्यादि) अथवा कोई अन्य प्रमुख अवस्थापना परियोजना को ''विशेष सुख–सुविधा'' के रूप में सम्मिलित किये जाने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
3	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकरण को विकास क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करने और उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकरण के पास भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्धन तथा निस्तारण करने, निर्माण, अभियन्त्रण, खनन और अन्य संक्रियाओं को क्रियान्वित करने, जल तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य को निष्पादित करने, मलवहन का निस्तारण करने को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति दी जा रही है।
5	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से जहां किसी विकास क्षेत्र में एक या उससे अधिक विशेष सुख–सुविधा परियोजनाओं का दायित्व ग्रहण करने पर प्राधिकरण को विशेष सुख–सुविधा शुल्क उद्गृहीत करने हेतु विनिर्दिष्ट किये जाने की शक्ति दी जा रही है। साथ ही राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से विशेष सुख–सुविधा शुल्क उद्गृहीत किये जाने के फलस्वरूप उद्गृहीत तथा संगृहीत अतिरिक्त धनराशि ''विशेष सुख–सुविधा विकास निधि'' में जमा किये जाने और इसके उपयोग की रीति विनिर्दिष्ट किये जाने की शक्ति दी जा रही है।
6	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से ''विशेष सुख–सुविधा'' के संबंध में अन्य शुल्कों/प्रभारों के कारण संग्रहीत धनराशि के अनुपात और रीति को विनिर्दिष्ट करने की भी शक्ति दी जा रही है, तथा अधिसूचना के माध्यम से ''विशेष सुख–सुविधा'' विकास निधि का विशेष सुख–सुविधा परियोजना की वित्तीय वहनीयता के लिए रीति विनिर्दिष्ट करने की शक्ति दी जा रही है, तथा अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक विशेष सुख–सुविधा निधि के प्रशासन के लिए बोर्ड के गठन की शक्ति दी जा रही है।
8	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकरण को धारा 15 के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के समय ऐसी भूमि के स्वामी से नगरीय उपयोग प्रभार उद्गृहीत करने की रीति एवं दरों को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति दी जा रही है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973

धारा 2(क)	''सुविधा'' के अन्तर्गत है सड़क, जल आपूर्ति, सड़क प्रकाश, जल निकास, मल निकास, लोक कार्य और ऐसी अन्य सुविधा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुविधा होना विनिर्दिष्ट करे;
धारा 2(छछछ)	''विकास शुल्क'' से ऐसा शुल्क अभिप्रेत है, जो विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में सड़क, जल निकास, मल निकास, विद्युत आपूर्ति और जलापूर्ति लाइन के निर्माण के लिए धारा 15 के अधीन व्यक्ति या निकास से उद्ग्रहीत है;
धारा 7	प्राधिकरण का उद्देश्य योजना के अनुसार विकास क्षेत्र को उन्नत करना और विकास सुनिश्चित करना होगा और इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण को भूमि और अन्य संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, प्रबन्ध और व्ययन करने, भवन निर्माण, अभियन्त्रिकी, खनन एवं अन्य कार्य करने, जल आपूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति के संबंध में कार्य सम्पन्न करने, मल निकास का निस्तारण करने एवं अन्य सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने तथा बनाए रखने और साधारणतः ऐसे विकास और उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन कोई चीज करने की शक्ति होगी : परन्तु यह कि जैसे अधिनियम में उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात का अर्थान्वयन् प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्राधिकार द्वारा अवमान को प्राधिकृत करने हेतु नहीं किया जाएगा।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

———

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

———

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

———

No. 1036/XC-1014(003)-9-2023
Dated Lucknow, August 17, 2023

———

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "UTTAR PRADESH NAGAR YOJANA AUR VIKAS (SANSODHAN) VIDHEYAK, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 2023.

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from July 10, 2023.

Amendment of section 2 of President's Act no. 11 of 1973 as re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) *for* clause (a), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(a) *'amenity'* includes road, water supply, street-lighting, drainage, sewerage, development of public parks and open spaces, solid waste management and disposal, sewage treatment plant and other public works including utilities, services and such other conveniences as the State Government may, by notification in the *Gazette*, specify to be an amenity for the purposes of this Act;"

(b) *for* clause (ggg), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(ggg) *'development fee'* means the fee levied under section15 for providing amenities in the development area and improvement and maintenance thereof;"

(c) *after* clause (k), the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(kk) *'special amenity'* includes projects of vital importance such as mass rapid transit systems (metro rail, light rail, regional rapid rail, bus rapid transit system, ropeway, *etc*.), freeways (elevated roads, *etc.*), urban revitalization projects (river front development, *etc*.) or any other major infrastructure project which may be notified to be as such by the State Government;"

"(kkk) *'special amenity fee'* means the fee levied under sub-section (2B) of section 15 for provision of special amenities in the development area and improvement and maintenance thereof;"

(d) clause (kk) shall be renumbered as (kkkk);

(e) *after* clause (l), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(ll) *'urban use charge'* means the charge levied upon a person or body under section 38B;"

(f) clause (ll) shall be renumbered as (lll).

Amendment of section 7

3. *For* section 7 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

"7. The objects of the Authority shall be to promote and secure the development of the development area according to plan and for that purpose the Authority shall have the power to acquire, hold, manage and dispose of land and other property, to carry out building, engineering, mining and other operations, to execute works in connection with the supply of water and electricity, to dispose of sewage, provision of other services, facilities and special amenities as the State Government may, by notification in the *Gazette,* specify and generally to do anything necessary or expedient for purposes of such development and for purposes incidental thereto:

Provided that save as provided in this Act, nothing contained in this Act, shall be construed as authorizing the disregard by the Authority of any law for the time being in force."

Amendment of section 8

4. *After* sub-section (3) of section 8 of the principal Act, the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(4) A master plan may be revised at the end of every ten years or earlier if the State Government so thinks fit."

Amendment of section 15

5. *After* sub section (2-A) of section 15 of the principal Act, the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(2-B) Where in any development area, the State Government declares its intention to undertake one or more special amenity projects, the Authority shall be entitled to levy special amenity fee in such manner and at such rate as State Government may, by notification in the *Gazette*, specify:

Provided that the additional amount levied and collected as a result of levy of special amenity fee shall be credited to the Special Amenities Development Fund as established under section 20-A of this Act and it shall be utilized solely for the purpose of one or more special amenity projects in such manner as may be notified by the State Government from time to time."

Insertion of new section 20-A

6. *After* section 20 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:-

"20-A (1) Where, in any development area, the State Government declares its intention to undertake one or more special amenity projects, the State Government shall direct the concerned Authority to establish and maintain a separate fund which shall be called the Special Amenities Development Fund

Special Amenities Development Fund

and to which the following proceeds shall be credited:-

(a) money collected as special amenity fee under sub-section (2-B) of section 15;

(b) money collected on account of any other fees/charges in relation to the special amenity in such proportion and in such manner as State Government may, by notification in the *Gazette*, specify.

(2) The fund shall be utilized solely for the financial sustainability of the concerned special amenity project(s) in such manner as State Government may, by notification in the *Gazette,* specify.

(3) The State Government shall, by notification, constitute a Board for the administration of each of the Special Amenities Development Fund(s) consisting of the following members:-

(a) the Chairman of the concerned Authority;

(b) the Vice-Chairman of the concerned Authority;

(c) a representative of the project implementation agency of the special amenity project in the concerned development area."

Amendment of section 38-A

7. In section 38-A of the principal Act, the second proviso to sub-section (1) shall be *omitted.*

Insertion of new section 38-B

8. *After* section 38-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:-

"38-B. Where, in any development area, the land use of a particular land other than roads, parks and open spaces, green belts, and public amenities is changed to higher use, as specified in the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Land Use Conversion Charge) Rules, 2014 as a result of revision of master plan under sub-section (4) of section 8 or preparation of zonal development plan under section 9, the Authority shall be entitled to levy urban use charge on the owner of such land at the time of granting permission under section 15 in such manner and at such rates as may be prescribed:

Power of the Authority to levy Urban Use Charge

Provided that where the master plan is prepared for the first time, no urban use charge shall be levied upon the owner of such land."

Repeal and saving

9. (1) The Uttar Pradesh Urban Planning and Development Ordinance, 2023 is herby repealed. U. P. Ordinance no. 12 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) was enacted to provide for the development of certain areas of Uttar Pradesh according to plan and for matters ancillary thereto.

There is a possibility of upgradation of existing land use under the GIS based master plans of 59 cities of the State of Uttar Pradesh and new master plans of other cities of the State of Uttar Pradesh being prepared under the AMRUT Yojna of the Government of India. Due to elevated land use proposed under the new master plan, construction works done against land use under the present master plan were regularized without any fee, and the same resulted in causing financial losses to the development authorities. Therefore, in order to protect the development authorities from the aforesaid possible financial losses it was decided to collect "urban use charges" at the time of approval of map for elevated land use, levy a "special amenity fee" by defining infrastructure projects with heavy investment as "special amenity facilities" under the aforesaid Act, and to make a provision in the aforesaid Act for revision of approved master plans after ten years or earlier.

In view of the above, it was decided to amend the aforesaid Act to incorporate provisions pertaining to "urban use charges", "special amenity fee" and "revision of master plans".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 12 of 2023) was promulgated by the Governor on 10th July 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH
Mukhya Mantri.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 499 राजपत्र–2023–(1629)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।